संख्या–601 ई–2/तेरह–2010–10/2010

प्रेषक,

नवल किशोर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊः:दिनांकः:26फरवरी, 2010

विषयः– वर्ष 2010–11 की आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी– 154/दस–लाइसेन्स–367/सुझाव आबकारी नीति/ 2010–11, दिनांक 24 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2010–11 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने का मुझे निदेश हुआ हैः–

1—वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति के प्रस्तर–4.1(2) में उल्लिखित इस प्राविधान कि "यदि अनुज्ञापी चाहें तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसके अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन अैर शर्तो पर करा सकता है, जो यथा समय राज्य सरकार द्वारा विनिश्चत किये जायेंगे, " के दृष्टिगत विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स के व्यवस्थापन की वर्ष 2009–10 में प्रभावी की गयी व्यवस्था को वर्ष 2010–11 में भी नवीनीकरण द्वारा बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार अन्य जोनों में भी वर्ष 2010–11 में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराया जाएगा।

2– देशी शराबः–

(1) प्रोसेंसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्कः–

देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 3000 प्रति आवेदन पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2008–09 के नवीनीकरण शुल्क में रू0 5000 की वृद्धि करते हुए वर्ष 2010–11 के लिये नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता हैः–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2008–09 के लिए निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	20,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	10,000 प्रति दुकान	15,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	5,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान

(2) **देशी शराब का एम.जी.क्यू.:–**

वर्ष 2010–11 में दुकानों के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन तथा राजस्व हित में प्रदेश के वर्ष 2009–10 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) **देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–**

वर्ष 2010–11 के लिए बेसिक लाइसेंस फीस में रु0 1 प्रति लीटर की वृद्धि कर रु0 21 प्रति लीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) **देशी शराब की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):–**

वर्ष 2010–11 के लिए प्रतिफल फीस में रु0 22 प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 130 प्रति लीटर प्रतिफल फीस रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(5) **देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–**

देशी शराब की वर्ष 2009–10 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जाएगा :–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– वर्ष 2009–10 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. सम्मिलित होगा) में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2010–11 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में निर्धारित एम0जी0क्यू0 वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. नवसृजित की जा रही दुकानों के लिये नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम0जी0क्यू0 से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम0जी0क्यू0 नवसृजित दुकानों के एम0जी0क्यू0 की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाय। उपरोक्तानुसार वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/ क्षेत्रवार आबकारी निरीक्षकों द्वारा, दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

6– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.

क्यू. पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित दुकानों हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

8– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के जनपद रामपुर की देशी शराब की तीन दुकानें नवाबगंज, रहटगंज व दढियाल रिट याचिका सं0 2756/2009 नीलम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2009 के अनुसार व्यवस्थित होंगी।

(6) देशी शराब की श्रेणियां, गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारणः–

वर्ष 2009–10 में देशी शराब की प्रचलित तीन श्रेणियों–25 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला), 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला) तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला) को वर्ष 2010–11 में यथावत रखते हुए, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर के पूर्व प्रतिबंधों के साथ बनाये रखने का निर्णय लिया गया है तथा देशी मदिरा की गुणवत्ता मे सुधार एवं जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत वर्ष 2010–11 हेतु प्रदेश में केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त श्रेणियों के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य **संलग्नक–1** के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(7) देशी शराब की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार होगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

वर्ष 2010–11 में नवसृजित देशी शराब की दुकानों का एम.जी.क्यू. निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थित	वर्ष 2009–10 में निर्धारित एम.जी.क्यू. ब0ली में	वर्ष 2010–11 में निर्धारित एम.जी.क्यू. ब0ली में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	17000	17000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	12000	12000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	7000	7000
4	ग्रामीण	3500	3500

देशी शराब की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) **देशी शराब की थोक आपूर्तिः–**

वर्ष 2009–10 में प्रचलित किये गये देशी शराब के थोक आपूर्ति हेतु सी0एल0–1बी व सी0एल0–1सी अनुज्ञापन वर्ष 2010–11 में भी यथावत बनाये रखने तथा वर्तमान अनुज्ञापनों का वर्ष 2010–11 के लिए नवीनीकरण के माध्यम से निम्नवत् व्यवस्थापन कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापन हेतु देयताएं :–

नवीनीकरण फीस	रु0 2 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 8.80 करोड़ प्रति अनुज्ञापन। इस लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार करायी जाएगीः–
आवेदन स्वीकृति के समय	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.06.10 तक	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.09.10 तक	रु0 2.80 करोड़

प्रतिभूति धनराशि नवीनीकरण हेतु आवेदन के समय रु0 88 लाख प्रति अनुज्ञापन बैंक ड्राफ्ट के रुप में लिया जाए।

वर्तमान सी0एल0–1बी अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन का नवीनीकरण न कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञापन का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) सी0एल0–1सी अनुज्ञापनः–

नवीनीकरण फीस	रु0 10000 प्रति अनुज्ञापन
लाइसेंस फीस	रु0 1.10 लाख प्रति अनुज्ञापन
प्रतिभूति धनराशि	रु0 11000 प्रति अनुज्ञापन

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से वर्ष 2009–10 की भांति सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर संबंधित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा कराया जाएगा। इस प्रकार सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का आयात ही वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में प्रदेश में अनुमन्य किया जाएगा।

(9) **देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीसः–**

देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी रु0 10000/– प्रति ब्राण्ड यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

(10) **देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–**

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अन्य यथा निर्धारित लीजेण्ड पूर्ववत् अंकित करना अनिवार्य रखे

जाने के साथ लेबुलों के अनुमोदन हेतु प्रति लेबुल वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी लेबुल अनुमोदन फीस रु0 10000/– प्रति लेबुल रखे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आसवनियों में जोनवार मदिरा के संग्रहण की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए लेबुलों पर विक्रय के जोन का नाम अंकित किये जाने की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(11) **देशी शराब निर्यात पास फीसः–**

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी यथावत् रु0 10/– प्रति ए0एल0 निर्धारित किया गया है।

(12) **देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–**

देशी शराब की फुटकर दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2010–11 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाए, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाए। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(13) **देशी शराब की आपूर्तिः–**

वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा की आपूर्ति सभी निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

3– विदेशी मदिरा–

(1) **विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस :–**

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस के सम्बन्ध में वर्ष 2009–10 में प्रचलित व्यवस्था को वर्ष 2010–11 में यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है तथा इस हेतु व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक आयुक्तालय में उपलब्ध अंतिम मास के उपभोग के आंकडों के आधार पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को लाइसेंस फीस का अधिभार यथावश्यकता वृद्धि करते हुए निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। जनवरी–2010 तक के उपभोग 7.34 करोड़ बोतल के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग 8.76 करोड़ बोतल के लिए प्रदेश का प्रति बोतल अधिभार रु0 19.59 अथवा राउण्ड करके रु0 20 निर्धारित हो रहा है, जिस पर रु0 6 बढ़ाकर रु0 26 प्रति बोतल अधिभार रखा गया है। किसी भी विदेशी मदिरा दुकान के उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष 2010–11 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी है।

(2) **विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

विदेशी मदिरा की वर्ष 2009–10 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाए।

5– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाय।

6– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित दुकानों हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त विदेशी मदिरा के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार कराया जाए।

(3) <u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :–</u>

विदेशी मदिरा की प्रोसेंसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 3000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

वर्ष 2010–11 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् हैः–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2008–09 के लिए निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	17,500 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	6,000 प्रति दुकान	8,000 प्रति दुकान

<u>(4) विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–</u>

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार होगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 के लिए, नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार रखी गयी है:–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2010–11 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	6,40,000/–	6,40,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,15,000/–	2,15,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,00,000/–	1,00,000/–
4	ग्रामीण	50,000/–	50,000/–

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) <u>विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दैनिक लाइसेंस फीसः–</u>

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2010–11 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाए, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाए। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जाए।

(6) <u>विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीसः–</u>

विदेशी मदिरा की चीप से प्रीमियम श्रेणी तक की प्रतिफल फीस में वर्ष 2010–11 में कोई वृद्धि न किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा प्रीमियम श्रेणी से ऊपर सुपर प्रीमियम व स्कॉच की श्रेणियों में रू0 20/– प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वर्ष 2009–10 में विदेशी मदिरा की एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निर्धारित 13 श्रेणियां को वर्ष 2010–11 में यथावत बनाये रखते हुए इन श्रेणियों की प्रतिफल फीस की दरें वर्ष 2010–11 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं:–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		**श्रेणी**		वर्ष 2009–10 में निर्धारित प्रतिफल फीस		वर्ष 2010–11 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस		**प्रति लीटर वृद्धि**
				प्रति लीटर	**प्रति बोतल**	**प्रति लीटर**	**प्रति बोतल**	
1.	0 से 25/– तक	**चीप (सस्ती)**	***GGG***	170.00	127.50	170.00	127.50	---
2.	25/– से अधिक 30/– तक	**मीडियम वीटा**	**FFB**	180.00	135.00	180.00	135.00	---
3.	30/– से अधिक 40/– तक	**मीडियम अल्फा**	**FFA**	200.00	150.00	200.00	150.00	---

4.	40/– से अधिक 50/– तक	**रेगुलर वीटा**	**EEB**	210.00	157.50	210.00	157.50	---
5.	50/– से अधिक 60/– तक	**रेगुलर अल्फा**	**EEA**	230.00	172.50	230.00	172.50	---
6.	60/– से अधिक 80/– तक	**सेमी प्रीमियम बीटा**	**DDB**	260.00	195.00	260.00	195.00	---
7.	80/– से अधिक 100/– तक	**सेमी प्रीमियम अल्फा**	**DDA**	300.00	225.00	300.00	225.00	---
8.	100/– से अधिक 130/– तक	**प्रीमियम बीटा**	**CCB**	340.00	255.00	340.00	255.00	---
9.	130/–से अधिक 170/– तक	**प्रीमियम अल्फा**	**CCA**	380.00	285.00	380.00	285.00	---
10.	170/–से अधिक 230/– तक	**सुपर प्रीमियम बीटा**	**BBB**	490.00	367.50	510.00	382.50	20
11.	230/–से अधिक 290/– तक	**सुपर प्रीमियम अल्फा**	**BBA**	500.00	375.00	520.00	390.00	20
12.	290/– से अधिक 500/– तक	**स्काच बीटा**	**AAB**	620.00	465.00	640.00	480.00	20
13.	500/– से अधिक	**स्काच अल्फा**	**AAA**	640.00	480.00	660.00	490.00	20

(7) विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :–

विदेशी मदिरा का मूल्य वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों के अधिभार बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में अधिक पड़ने को दृष्टिगत कर 375 एम0एल0 की धारिता में रु0 3 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 के मूल्य निर्धारण में रु0 5 बोतल (750 एम0एल0) की एम.आर.पी. निर्धारण के लिए प्रस्तावित एक्स आसवनी मूल्य में बढ़ाकर लिया जाए।

(8) विदेशी मदिरा की थोक आपूर्तिः–

(क) वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों के माध्यम से करायी जाएगी तथा अनुज्ञापन शुल्क भी गतवर्ष की भांति जनपद में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्रम संख्या	जनपद में वर्ष 2009–10 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	40.00 लाख

उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) **विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माणः–**

आबकारी नीति में विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से करने की व्यवस्था को वर्ष 2010–11 में भी प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) **एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–**

एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में रु0 5.00 लाख यथावत रखा गया है।

(घ) **एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में उक्त अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क यथावत् रू0 50,000 ही रखा गया है।

(9) **सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस :–**

गतवर्ष की भांति सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल में अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी प्रतिफल फीस आरोपण की व्यवस्था प्रभावी रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) **भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–**

विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 में निर्धारित रू0 35,000/– प्रति ब्राण्ड को वर्ष 2010–11 के लिये यथावत रखा गया है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा है कि यदि कोई निर्माता अपने ब्राण्ड का पंजीयन वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के सापेक्ष निम्न श्रेणी में कराता है, जिससे वर्ष 2009–10 की अपेक्षा प्रतिफल फीस कम निर्धारित होती है, तो पूर्व वर्ष व चलित वर्ष के पंजीकरण श्रेणी की प्रतिफल फीस, जिसमें प्रतिफल फीस अधिक होगी, देय होगी।

(11) **अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 20,000/– यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(12) **अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान** :–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) **विदेशी मदिरा (एफ0एल0–2ए):–**

विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2ए (सी0एस0डी0) की लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी रू0 2500/– यथावत् रखी गयी है।

(14) **एफ0एल0–1/एफ0एल0–1एः–**

वर्ष 2009–10 में एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रू 3,50,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 35000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है। इसे वर्ष 2010–11 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(15) **बी0डब्लूएफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीसः–**

बी0डब्लू0 एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 की भांति 2010–11 में यथावत निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
BWFL-2A	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु।
BWFL-2B	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की बिक्री हेतु।
BWFL-2C	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की बिक्री हेतु।
BWFL-2D	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की बिक्री हेतु।

(16) **विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीसः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस यथावत रू0 20,000/– रखी गयी है।

(17) **विदेशी मदिरा की आयात अनुज्ञा पत्र फीसः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में बोतलों में आयाातित विदेशी मदिरा की आयात फीस 4/– रूपये प्रति लीटर तथा विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/– प्रति बल्क लीटर अनुज्ञा प्रतिफल फीस यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(18) **विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल):–**

विदेशी मदिरा पर निर्यात फीस वर्ष 2009–10 में रु0 5/– प्रति बल्क ली0 तथा बोतलों में रु0 2.67/– प्रति ए0एल0 निर्धारित है, जिसे वर्ष 2010–11 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(19) **विदेशी मदिरा के 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति** :–

वर्ष 2009–10 में 0 से 80 एक्स आसवनी मूल्य तक की श्रेणियों में 90 एम0एल0 की बिक्री प्रतिबंधित है। अर्थात सेमी प्रीमियम अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में ही 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य है। साथ ही 90 एम0एल0 धारिता की बिक्री हेतु शीशे के साथ–साथ "सिरोंग पैक" भी अनुमन्य है। इसे वर्ष 2010–11 में भी यथावत रखे जाने के साथ ही वर्ष 2009–10 की भांति सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री वर्ष 2010–11 में अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(20) **अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस** :–

वर्ष 2009–10 हेतु स्काच बीटा एवं स्काच अल्फा श्रेणियों की प्रतिफल फीस में रू0 20 प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए वर्ष 2010–11 में इक्वलप्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा में भी परमिट फीस निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	**परमिट फीस**
रु0 0 से 500 तक	रु0 640 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 660 प्रति लीटर

4– वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय–

(1) भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में वाइन पर आयात शुल्क रू0 3/– प्रति लीटर यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2009–10 में वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो निर्धारित है। इसे वर्ष 2010–11 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :–

वर्ष 2009–10 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। इसे वर्ष 2010–11 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :–

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने का प्राविधान वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी यथावत बनाये रखा गया है।

(5) अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में आयातित वाइन पर विदेशी मदिरा की भांति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु रू0 20,000/– प्रति ब्राण्ड यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(6) भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 में रू0 5000/– एवं लेबुल अनुमोदन भी रू0 5000/– निर्धारित है। इसे वर्ष 2010–11 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) वाइन की बिक्री :–

वाइन की बिक्री वर्ष 2009–10 की ही भॉति वर्ष 2010–11 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(8) कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :–

वर्ष 2009–10 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य की गयी है, जिसे वर्ष 2010–11 में यथावत बनाये रखा गया है।

(9) कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–

कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन वर्ष 2009–10 में क्रमशः 3000/– व 5000/– निर्धारित है, जिसे वर्ष 2010–11 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्ट, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :–

उपरोक्त मादकों पर गतवर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। इस व्यवस्था को वर्ष 2010–11 में भी यथावत बनाये रखा गया है।

5– बार अनुज्ञापन–

(1) बार/क्लब लाइसेंस :–

वर्ष 2010–11 में सभी श्रेणी के बार अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस गत वर्ष के अनुसार ही रखी गयी है। साथ ही वर्ष 2009–10 में प्रभावी की गयी निम्न व्यवस्थाएं भी वर्ष 2010–11 में यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलें भी होटल के कमरों में उपभोग हेतु मानक मदिरा की उपलब्धता की दृष्टि से अनुमन्य रहेंगी।

(ii) वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में बार अनुज्ञापनों पर बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, ड्राफ्ट बीयर की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी।

(iii) वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में बार अनुज्ञापनों पर वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की बिक्री अनुमन्य रहेगी।

(iv) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल सभी ए.सी. कमरों में मिनी बार की व्यवस्था हेतु क्रमशः रु0 1.00 लाख व 50 हजार की अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस लेकर अनुमन्य किया जाए।

(v) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल कें कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर रु0 50 हजार प्रत्येक की अतिरिक्त वार्षिक फीस पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के साथ मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। स्टार होटलों के लिये यह फीस रू0 1.00 लाख प्रति अतिरिक्त स्थान वार्षिक होगी।

(2) बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–

वर्ष 2009–10 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे निर्धारित है। साथ ही नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों को **एक लाख पच्चीस हजार रुपये** अतिरिक्त फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार से विक्रय अनुमन्य है। वर्ष 2010–11 में इसे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

6– बीयर

(1) बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीसः–

बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु व्यवस्थापन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक आयुक्तालय में उपलब्ध अंतिम मास के उपभोग के आंकडों के आधार पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को लाइसेंस फीस का अधिभार यथाआवश्यकता वृद्धि करते हुए निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। जनवरी–10 तक के उपभोग 7.5 करोड़ बोतल के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग 9.00 करोड़ बोतल से प्रदेश का प्रति बोतल अधिभार रु0 3.33 अथवा राउण्ड करके रु0 3 निर्धारित हो रहा है, जिसे लाइसेंस फीस के आगणन के लिए वर्ष 2009–10 के प्रति बोतल अधिभार रु0 4 को रु0 1 बढ़ाकर करके रु0 5 प्रति बोतल अधिभार रखा गया है। किसी भी बीयर दुकान के उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष 2010–11 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित किया जाएगा।

(2) **बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

बीयर की वर्ष 2009–10 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

5– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित दुकानों हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त बीयर के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(3) **बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण :–**

बीयर की प्रोसेंसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 3000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

वर्ष 2010–11 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् है:–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2008–09 के लिए निर्धारित (रुपये में)	र्ष 2010–11 के लिए प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	17,500 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	6,000 प्रति दुकान	8,000 प्रति दुकान

(4) **बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–**

वर्ष 2010–11 में भी गतवर्ष की भांति आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 25 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार दिया गया है तथा 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए गतवर्ष की भांति ही वर्ष 2010–11 हेतु निम्ननुसार लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी हैः–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थित	वर्ष 2009–10 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2010–11 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,60,000/–	1,60,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	80,000/–	80,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	40,000/–	40,000/–
4	ग्रामीण	38,000/–	38,000/–

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायगा। इस संबंध में समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) **बीयर की प्रतिफल फीसः–**

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी यथावत् निम्न प्रकार निर्धारित की गयी हैः–

कमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बियर	18.50/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) या 28.46 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बियर	32.00/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) या 49.23 प्रति लीटर

(6) **बीयर की थोक लाइसेंस फीस :–**

बीयर की थोक आपूर्ति की व्यवस्था प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर 3.(8) (विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति) के अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) **अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन** :–

ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी रू0 10,000/– प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(8) **अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीसः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस की दरें निम्नवत् निर्धारित की गयी हैं:–

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक रू0 20/– (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं रू0 35/– (650 एम0एल0 प्रति बोतल)
8 प्रतिशत वी/वी तक

(9) **भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन** :–

बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी रू0 12000/– प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) **बीयर की एम0आर0पी0** :–

बीयर की एम0आर0पी0 वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

(11) **बीयर व एल0ए0बी0 का निर्यात शुल्कः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी बीयर का निर्यात शुल्क 1/– प्रति ब0ली0, कम तीव्रता के मादक पेय का निर्यात शुल्क 1/– प्रति ब0ली0 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(12) **बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः–**

वर्ष 2009–10 में बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2/– प्रति लीटर है तथा फ्लेश पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया से निर्मित तथा लगभग 30 दिन की "शेल्फ लाइफ" वाली ड्राफ्ट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति लीटर, को वर्ष 2010–11 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) **बीयर के लेबुलों का अनुमोदन** :–

बीयर के लेबुलों का अनुमोदन फीस वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में यथावत् रू0 5000/– रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(14) **बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–**

बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यतः आगामी वर्ष 2010–11 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाएगा । दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7– माडल शाप

(1) **माडल शाप की लाइसेंस फीसः–**

माडल शाप की लाइसेंस फीस के निर्धारण के लिए वर्ष 2009–10 में निम्न व्यवस्था प्रभावी हैः–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख

2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त मदिरा पान की फीस रु0 50000 भी देय हैं। उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2010–11 के लिए यथावत् रखा गया है।

(2) **माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

वर्ष 2009–10 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण, वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप्स पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप्स का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप्स का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

5– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी माडल शाप्स का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित माडल शाप्स हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(3) **माडल शाप्स का प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरणः–**

माडल शाप्स की प्रोसेंसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 5,000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

पूर्व वर्षो में माडल शाप का नवीनीकरण निशुल्क किया जाता रहा है, जबकि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण सशुल्क किया जाता रहा है। अस्तु एकरुपता की दृष्टि से माडल शाप्स का नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	6,000 प्रति दुकान

(4) **माडल शाप्स का सृजन–**

वर्ष 2010–11 के लिए 15 प्रतिशत माडल शाप के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त किया गया है एवं 15 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

8– भांग

(1) **भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–**

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2009–10 की भॉति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2010–11 में भी किया जायेगा। भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी । एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी ।

(2) **भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी भांग के निर्यात पर रु0 4/– प्रति किलो की दर से निर्यात फीस निर्धारित की गयी है।

9– अन्य–

(1) कतिपय नियमावलियों का संशोधनः–

(क) उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली–2002 के नियम–8, 9 व अनुज्ञापनों की शर्तो में अस्पष्टता के दृष्टिगत इसमें संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 का नियम–15 में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) वर्ष 2010–11 की नीति के अनुसार वांछित नई नियमावलियों का सृजन एवं प्रचलित नियमावलियों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) **देशी शराब का ई0एन0ए0 से निर्माणः–**

जनस्वास्थ्य व गुणवत्ता पूर्ण देशी मदिरा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2010–11 में देशी शराब का निर्माण केवल ई0एन0ए0 से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0, देशी मदिरा निर्माण के लिए प्राप्त करेगी, तो इसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की

आपूर्ति ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) प्राप्त करने वाली आसवनी को देय आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) **पेय मदिरा को कब्जे में रखने की मात्रा–**

नागरिकों को अनावश्यक प्रताड़ना से सुरक्षित रखने की दृष्टि से मादकों को कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:–

क्रम सं0	मादक का प्रकार	अधिकतम मात्रा
1	देशी शराब (मसाला)	1.5 लीटर प्रत्येक तीव्रता की अलग–अलग
2	देशी शराब (सादा)	1.5 लीटर प्रत्येक तीव्रता की अलग–अलग
3	विदेशी मदिरा (BII) (Bottled in India) / (IMFL) भारत निर्मित विदेशी मदिरा	6 लीटर, (व्हिस्की, ब्राण्डी,रम (व्हाइट रम सहित),जिन व बोदका)
4	विदेशी मदिरा (BIO) (Bottled in Origin) / आयातित विदेशी मदिरा (Overseas)	6 लीटर, (व्हिस्की, ब्राण्डी,रम (व्हाइट रम सहित), जिन व बोदका)
5	वाइन(BII)	03 लीटर
6	वाइन (BIO)	03 लीटर
7	बीयर(BII)	7.8 लीटर
8	बीयर(BIO)	7.8 लीटर
9	अन्य प्रकार की भारतीय/आयातित मदिरा (लिक्योर)	02 लीटर
10	कम तीव्रता के मादक पेय	06 लीटर

(4) **पेय मदिरा के अन्तर्राज्यीय अभिवहन की सीमा–**

भारत के अन्य राज्यों से प्रदेश में मदिरा की तस्करी को रोकने तथा राजस्व हित के दृष्टिगत सभी प्रकार की मदिरा के लिए एक ही प्रकार के मादक अर्थात (देशी शराब(मसाला)/देशी शराब(सादा)/विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर में से किसी एक की) केवल एक बोतल खुली हुई अभिवहन करने की सीमा उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा अभिवहन) नियमावली–2003 की अनुसूची में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में प्रवेश करने वाले निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों पर उपरोक्त प्रतिबंध नहीं होगा:–

1– अर्न्तदेशीय यात्रियों द्वारा (Central Excise & Customs) के नियमार्न्तगत अनुमन्य सीमा में लायी गयी आयाातित मदिरा।

2– भारतीय सेना एवं Armed Forces of the Union के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सुसंगत नियमों के अनुसार अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत परिवहन की जा सकने वाली मदिरा ।

उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संबंधित अभिलेख/प्रमाण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

(5) **सशस्त्र सरुक्षा बल को श्रेणीवार निर्धारित प्रतिफल फीस में 50 प्रतिशत की छूट पर विदेशी मदिरा उपलब्ध कराया जाना :–**

सशस्त्र सुरक्षा बल के उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भांति सशस्त्र सुरक्षा बल को भी श्रेणीवार निर्धारित प्रतिफल फीस में 50 प्रतिशत की छूट पर विदेशी मदिरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। उनके अनुरोध को दृष्टिगत कर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भांति सशस्त्र सुरक्षा बल को भी श्रेणीवार निर्धारित प्रतिफल फीस में 50 प्रतिशत की छूट पर विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु थोक/फुटकर अनुज्ञापन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6) **पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–**

वर्ष 2009–10 की भांति मदिरा की दुकानों हेत आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन करना अनिवार्य होगा कि वह चयनित हो जाने पर 03 माह के अंदर आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 प्रस्तुत करेगा।

(7) **विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः–**

वर्ष 2009–10 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2010 की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2010 को दोपहर 12.00 बजे तक की जाएगी। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार किया जाएगा।

4.9 **वर्ष 2010–11 के लिये अनुमानित राजस्व**

क्रमांक	मद	रू0 करोड़ में
1	**देशी शराब–**प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	**3515.00**
2	**विदेशी मदिरा–** प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	**2080.00**
3	**बीयर –** प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	**345.00**
4	**अन्य मद–**	**230.00**
योगः–		**6170.00**

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उपरोक्त अनुमानित राजस्व रू0 6170 करोड़ के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि विधानमण्डल द्वारा पारित वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में आबकारी विभाग द्वारा की जाने वाली राजस्व–प्राप्ति का अनुमान रु0 6763.00 करोड़ दर्शाया गया है। उक्त लक्ष्य के आधार पर जनपदों के लिये आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व–सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विशेष जोन के रूप में की गई दोहरी व्यवस्था में यह सुनिश्चित् करने का कष्ट करें कि आबकारी देयों की वसूली के बारे में विधिक व्यवस्था चयनित संस्था पर अवश्य रखी जाए।

3. उपर्युक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2010 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित् किया जाय। यदि किन्हीं अधिनियमों/नियमों/ अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। प्रश्नगत संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित् कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर ली जाए, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।